

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 25/04/23

क्रमांक रीडर/2023/1502
प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 दीपाराम 2 दुर्गाराम-3
तेजाराम पिसरान
नानगाराम 4 तीडीदेवी
पत्नी नानगाराम जाति
सुथार निवासी आसुओं की
ढाणी, सांजटा तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।


1 कोजाराम पुत्र राऊराम जाति सुथार 2 सवाईराम पुत्र
चान्दराम जाति कुम्हार 3 किस्तुराराम पुत्र कुम्भाराम 4
खुमाराम पुत्र शिवाराम 5 चनणाराम पुत्र आदाराम 6 चम्पाराम
पुत्र वनाराम 7 छगनी 8 जेठी 9 थानी पुत्रीयान जुगताराम 10
धीयोंदेवी पत्नी जुगताराम 11 नेताराम 12 नरेश कुमार
पिसरान वनाराम 13 बाबुलाल पुत्र शिवाराम 14 मूलीदेवी पत्नी
वनाराम 15 विशनाराम पुत्र शिवाराम 16 राणाराम 17 हरजीराम
पिसरान लुम्भाराम निवासी आसुओं की ढाणी, सांजटा तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 17 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 348/2022

दिनांक- 12/04/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आसुओं की ढाणी पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 321 रकबा 0.03 बीघा खसरा संख्या 592/322 रकबा 24.07
बीघा कुल रकबा 24.10 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने
हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई
करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी
निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो
प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 25/04/23

क्रमांक :- रीडर/2023/1503 - 06

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. दीपाराम पुत्र नानगाराम जाति सुथार निवासी आसुओं की ढाणी, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कोजाराम पुत्र राऊराम वगैराह जाति सुथार निवासी आसुओं की ढाणी, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर